

सन २०२५-२६ या वर्षात आदिवासी विकास
विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत
निधी वितरण.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२५/ प्र.क्र.०१ / कार्यासन-६
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- ०१ जानेवारी, २०२६.

वाचा :-

- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि. ०७ एप्रिल, २०२५.
- २) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.०३.०४.२०२५,
दि.२२.०४.२०२५, दि.३०.०४.२०२५, दि.०४.०६.२०२५, दि.२३.०६.२०२५, दि.२८.०७.२०२५,
दि.११.०८.२०२५, दि.२०.०८.२०२५, दि.२८.०८.२०२५, दि.२५.०९.२०२५. व दि.२९.१०.२०२५

प्रस्तावना :-

वित्त विभागाने सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य
खर्चाच्या व कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींपैकी बाब क्रमांक ०१-वेतन, १०-कंत्राटी सेवा,
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने व ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता या बाबींकरीता ७७ % मर्यादेतील
निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने यापूर्वी ७० % मर्यादेतील निधी वितरीत
करण्यात आला आहे. आता वितरणासाठी उपलब्ध असणारा उर्वरीत ७% मर्यादेतील निधी आदिवासी विकास
विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत सन २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी
क्र.टी-२ व टी-४ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना
क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत
आहे.

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील विहित तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०१०११०५७२९७०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(प्रविण झा. कोतमे)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
४. सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
६. सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
१४. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०१ जानेवारी, २०२६ सोबतचे विवरणपत्र | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| (रु.हजारात) | | | | | |
| अ. क्र. | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२५-२६ साठीची अर्थसंकल्पिय तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| मागणी क्रमांक-टी-२ | | | | | |
| २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, | | | | | |
| ०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, | | | | | |
| १ | (००) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०२५) | ०१-वेतन | १०००००.०० | ७०००.०० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| २ | (००) (०२) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती विकास आयुक्त (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) | ०१-वेतन | १६००००.०० | ११२००.०० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ३ | (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०४३) | ०१-वेतन | ६३००००.०० | ४४१००.०० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ४ | (००) (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०५२) | ०१-वेतन | ९८४६.०० | ६८९.२२ | आयुक्त, आदिवासी, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे |
| ५ | (००) (०५) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५जी०६३) | ०१-वेतन | ४०६२७५.०० | २८४३९.२५ | आयुक्त, आदिवासी, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. |
| | | १०-कंत्राटी सेवा | १२००००.०० | ८४००.०० | |
| | एकूण २२२५जी०६३ | | ५२६२७५.०० | ९९८२८.४७ | |

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२५/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०१ जानेवारी, २०२६ सोबतचे विवरणपत्र | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| (रु.हजारात) | | | | | |
| अ. क्र. | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२५-२६ साठीची अर्थसंकल्पिय तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| | (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाला वित्तीय सहाय (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५जी०७२) | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) | ४११३१९.०० | २८७९२.३३ | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ६ | (००) (०१) शबरी आदिवासी विकास महामंडळाला वित्तीय सहाय (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५जी०८१) | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) | २५०००.०० | १७५०.०० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| ७ | (०५) (०१)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १३०१) | ०१-वेतन | ६४३२९.०० | ४५०३.०३ | आयुक्त, आदिवासी, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. |
| ८ | एकूण मागणी क्रमांक टी-२ | | १९२६७६९.०० | १९७८६३.०५ | |
| मागणी क्रमांक-टी-४ | | | | | |
| २२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | | | | | |
| ९ | (००) (०१) आदिवासी विकास विभाग | ०१-वेतन | १५९०००.०० | १११३०.०० | सह सचिव, आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई |
| | | १०-कंत्राटी सेवा | २५००.०० | १७५.०० | |
| | एकूण २२५१ ०२११ | एकूण | १६१५००.०० | ११३०५.०० | |
| | एकूण मागणी क्रमांक टी-४ | | १६१५००.०० | ११३०५.०० | |
| | एकूण अनिवार्य खर्च (मागणी क्र.टी-२ + टी-४) | | २०८८२६९.०० | २०९१६८.०५ | |